संख्या-12/2023/21जेएल/22-3-2023/21जेएल/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2023

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध 02 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों तथा 01 विचाराधीन महिला बंदी को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-873/सामा-1(7)/एम(15)/03बंदी/2022, दिनांक 09-01-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118, सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध निम्नलिखित 02 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों तथा 01 विचाराधीन महिला बंदी को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम , जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 धर्मपाल	जिला कारागार, मेरठ	जिला कारागार, संतकबीरनगर
2	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी जितेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 धर्मपाल	जिला कारागार, मेरठ	जिला कारागार, बलरामपुर
3	विचाराधीन महिला बंदी राजेश पत्नी स्व0 धर्मपाल	जिला कारागार, मेरठ	नारी बंदी निकेतन, लखनऊ

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/संतकबीरनगर/बलरामपुर/लखनऊ।
5- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ/संतकबीरनगर/बलरामपुर।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, मेरठ से सम्बन्धित कारागारों में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
8- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीरनगर/बलरामपुर, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in